बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

अपील

भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) के नियंत्रणाधीन विभिन्न बन्दोबस्त कार्यालयों में बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली में प्रावधानित नियम के आलोक में विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/विशेष सर्वेक्षण कानूनगो/विशेष सर्वेक्षण अमीन एवं विशेष सर्वेक्षण लिपिक संविदा के आधार पर कार्यरत है एवं तथाकथित संघ के आह्वान पर दिनांक 16.08.2025 से हड़ताल पर है।

तथाकथित संघ द्वारा यह भी अफवाह प्रचारित किया जा रहा है कि सेवा नियमित करने के संबंध में सरकार से सकारात्मक वार्ता हुई है। इस अफवाह के आधार पर विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों से पैसे/चंदा की वसूली की जा रही है। इस संदर्भ में स्पष्ट करना है कि इन अफवाहों पर ध्यान नहीं दे। बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली में सेवा नियमित करने अथवा संविदा 60 वर्ष तक करने का न कोई प्रावधान है, न ही ऐसे किसी प्रस्ताव पर विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है।

28/8
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\ANUSHKA 2025\Verma sir\Notice 28-08-2025.doc